09/12/22 अभियोजन की ओर से श्री आर.के. वर्मा ए.डी.पी.ओ. उपस्थित।

आरोपी/आवेदक शैलेन्द्र सोनी सहित श्री जी.एस. रघुवंशी अधि. उपस्थित।

आरोपी/आवेदक शैलेन्द्र सोनी की ओर से श्री जी.एस. रघुवंशी अधि. ने माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन के न्यायालय के जा.क्र. 800/22 का बंद लिफाफा पेश किया तथा उसकी वैधता के संबंध में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया।

उक्त लिफाफे को खोले जाने पर उसमें माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बेगमगंज के न्यायालय के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन के न्यायालय का स्थगन आदेश दिनांक 08/12/22 की प्रतिलिपि प्राप्त।

माननीय अपील न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त आदेश का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार उक्त आरोपी की ओर से धारा 389 द.प्र.सं. का प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया है कि अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय की संतुष्टि योग्य 15000/– रूपये की सक्षम प्रतिभूति एवं इतनी ही राशि का स्वयं का बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करे कि वह अपील के निराकरण तक नियमित रूप से उपस्थित होता रहेगा तो आपराधिक प्रकरण क्र. 267/16 में निर्णय दिनांक 10/11/22 को पारित कारावास की दण्डाज्ञा का क्रियान्वयन अपील निराकरण तक स्थगित रखा जावे।

अपीलार्थी/अभियुक्त के द्वारा प्रतिकर राशि 176375/– में से 44094 की राशि इस न्यायालय में जमा किये जाने पर ही अपीलार्थी/आरोपी को प्रतिभूति पर मुक्त रहने का वैधानिक अधिकार होगा।

इसी स्तर पर आदेशानुसार उक्त अभियुक्त द्वारा प्रतिकर की राशि 44094/– ऑनलाईन सी.आर.एन.नं. एम.पी. टी.007009122022001346 ऑनलाईन ट्रेजरी चालान नं. 051/9999999/0070/12/22/13066 के माध्यम से जमा किये जाकर रिसीब्ड पेश की गई। एवं अभियुक्त की ओर से

स्वयं का 15000/—रूपये का बंध पत्र प्रस्तुत किया गया एवं जमानतदार अरविंद पिता नन्हेवीर नाई उम्र 48 साल निवासी सिलवानी तहसील सिलवानी जिला रायसेन ने भूमि स्थित ग्राम सलैया तहसील सिलवानी के संबंध में ऋण पुस्तिका क्र. एम 35132 पर उक्त अभियुक्त की 15000/—रूपये की जमानत प्रस्तुत की। जमानतदार की पहचान अधिवक्ता श्री जी.एस. रघुवंशी द्वारा की गयी।

प्रस्तुत जमानत बाद तस्दीक स्वीकृत की गई। माननीय अपील न्यायालय के आगामी आदेश तक आरोपी को दी गई कारावासीय सजा एवं शेष प्रतिकर राशि स्थगित रहेगी, उक्त आरोपी नियत दिनांक 25/01/23 को माननीय अपील न्यायालय में उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज किया जाकर शेष औपचारिकताये पूर्ण कर प्रकरण मूल प्रकरण के साथ संलग्न कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।